32-C

No.21011/2/94-Estt.(C)
Government of India
Ministry of Personnel, P.G. and Pensions
(Department of Personnel & Training)

New Delhi, the 3rd August, 1994

OFFICE MEMORANDUM

Subject - Timely confirmation in various Central Services.

.....

The undersigned is directed to refer to the instructions contained in the Department of Personnel & A.R. O.M.No. 21011/2/80-Estt.(C) dated 19th May, 1983 which inter alia provide that the date from which confirmation should be given effect to is the date following the date of satisfactory completion of probation or the extended period of probation, as the case may be. The decision to confirm the probationer or to extend the period of probation, as the case may be, should be communicated to the probationer normally within six to eight weeks. Confirmation has also been made a one-time affair in the service career of a Government servant, vide Department of Personnel & Training O.M.No. 18011/1/86-Estt.(D) dated 28th March, 1988.

2. It has been observed that inspite of the simplication of the procedure as indicated in the preceding para, delays in complying with procedural requirements of completion of probation/confirmation continue to occur. The Union Public Service Commission in their 41st Annual Report have also observed that -

> "In spite of simplication of procedure by Government, to the extent that an officer is required to be confirmed only once in a career-span after successful completion of probation, delay in reference occured in over 1000 cases."

3. In view of the above, it is reiterated the provisions of this Department's O.M.No. 21011/2/80-Estt.(C) dated 19.5.83 that, the decision to confirm the probationer or to extend the period of probation, as the case may be, should be communicated, to the probationer, normally within six to eight weeks. In order to ensure that such delays do not occur, timely action must be initiated in advance so that the time limit is adhered to. Where the proceedings of Departmental Promotion Committees for considering confirmation of officers are to be sent to the Union Public Service Commission for approval, as per the provisions of Deptt. of Personnel & AR O.M.No. 39011/2/S/75-Estt.(B) dated 14th March, 1977, these instructions would apply, mutatis-mutandis.

.....2/-

4. Ministry of Finance etc. are requested to bring the above instructions to the notice of all cadre controlling authorities under their control to ensure strict compliance.

(Krishna Menon)
Deputy Secretary to the Government of India

To

(i) All Ministries/Departments of Government of India as per standard list.

(ii) All attached and subordinate offices of the Ministry of Home Affairs and Department of Personnel and Training.

(iii) Office of the C&AG with 100 spare copies.

(iv) Union Public Service Commission, New Delhi.

(v) Members, Staff Side, National Council (JCM).

(vi) AIS Division, Department of Personnel & Training.

Railways

Probity
Secretariat & Estt.
ERB-II 02/9/94

सं0 21011/2/94-स्था0 (ग)

भारत सरकार

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय

(कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 3.8.1994

रेल मन्त्रालय, (रेलवे बोर्ड)
Railway Board
18 AUG 1994
Secretariat/C.R.No.
सचिवालय डाक संख्या No.

इस पत्र का उत्तर शीघ्र भेजा जाना चाहिए।

(2)

कार्यालय ज्ञापन

विषय: विभिन्न केन्द्रीय सेवाओं में समय से स्थायीकरण के विषय में ।

मुझे कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग के दिनांक 19 मई, 1983 के का0ज्ञा0 संख्या 21011/2/80-स्था0(ग) में निहित अनुदेशों का हवाला देने का निदेश हुआ है जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ यह प्रावधान है कि स्थायीकरण को प्रभावी बनाए जाने वाली तारीख परिवीक्षा अथवा परिवीक्षा की बढ़ाई गई अवधि जैसी भी स्थिति हो, को संतोषजनक ढंग से पूरा करने से अगली तारीख होगी । परिवीक्षाधीन को स्थायी किए जाने अथवा उसकी परिवीक्षावधि को बढ़ाए जाने संबंधी जैसा भी मामला हो, निर्णय से परिवीक्षाधीन को सामान्यतः छः से आठ सप्ताह के भीतर अवगत करा दिया जाए । कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 28 मार्च, 1988 के का0ज्ञा0 सं0 18011/1/86-स्था0(घ) के द्वारा सरकारी कर्मचारी की सेवा अवधि के दौरान स्थायीकरण कार्य भी केवल एक ही बार किया जाता है ।

2. यह देखने में आया है कि पूर्ववर्ती पैरा में निर्दिष्ट किए अनुसार प्रक्रिया के सरलीकरण के बावजूद परिवीक्षा पूरी की जाने/स्थायीकरण से संबंधित प्रक्रियात्मक अपेक्षाओं के अनुपालन में विलंब हो जाता है । संघ लोक सेवा आयोग ने भी अपनी 41वीं वार्षिक रिपोर्ट में यह टिप्पणी की है कि :-

"सरकार द्वारा प्रक्रिया को इस हद तक सरलीकृत किए जाने के बावजूद कि किसी अधिकारी के लिए सेवा के दौरान परिवीक्षावधि संतोषजनक ढंग से पूरी कर लेने के पश्चात् केवल एक बार ही स्थायी किया जाना आवश्यक है, फिर भी 1000 से भी ज्यादा मामलों में पत्र भेजने में विलम्ब हुआ है ।"

3. उपर्युक्त के मद्देनजर इस विभाग के दिनांक 19.5.83 के का0ज्ञा0 सं0 21011/2/80-स्था0(ग) के प्रावधानों द्वारा यह बात दोहराई जाती है कि परिवीक्षाधीन को स्थायी करने अथवा परिवीक्षा की अवधि को बढ़ाने संबंधी जैसा भी मामला हो, के निर्णय से परिवीक्षाधीन को सामान्यतः छः से 8 सप्ताह के भीतर अवगत कराया जाए । यह सुनिश्चित करने के लिए कि इस प्रकार का विलम्ब न हो, पहले ही समय से कार्रवाई आरंभ कर दी जाए ताकि समय-सीमा

....2/-

का अनुपालन हो सके । जहां अधिकारियों के स्थायीकरण पर विचार किए जाने के लिए विभागीय पदोन्नति समितियों की कार्यवाही संबंधी सूचना संघ लोक सेवा आयोग को सूचनार्थ भेजी जानी होती है, कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग के दिनांक 14 मार्च, 1971 के का0ज्ञा0 सं0 39011/2/एस0/75-स्था0(ख) के प्रावधानों के अनुसार ये अनुदेश यथोचित परिवर्तनों सहित लागू होंगे ।

4. वित्त मंत्रालय इत्यादि से अनुरोध है कि वे उपर्युक्त अनुदेशों को कड़ी अनुपालना सुनिश्चित करने के आशय से अपने नियंत्रणाधीन सभी संवर्ग नियंत्रक प्राधिकारियों के ध्यान में ला दें ।

कृष्ण भेनन

(कृष्ण भेनन)
उप सचिव, भारत सरकार

सेवा में,

(i) भारत सरकार के सभी मंत्रालय/विभाग मानक सूची के अनुसार ।

(ii) गृह मंत्रालय एवं कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के सभी संबद्ध एवं अधीनस्थ कार्यालय ।

(iii) नियंत्रक एवं महा लेखा परीक्षक का कार्यालय, 100 अतिरिक्त प्रतियों सहित ।

(iv) संघ लोक सेवा आयोग, नई दिल्ली ।

(v) सदस्य, कर्मचारी पक्ष, राष्ट्रीय परिषद (जेएसी0एम0)

(vi) अखिल भारतीय सेवा प्रभाग, कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग ।